

## --प्रेस नोट--

जनपद मुजफ्फरनगर

दिनांक 28.12.2024

➤ थाना ककरौली पुलिस द्वारा 01 गौकश अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 27.12.2024 को थाना ककरौली पर नियुक्त उ0नि0 श्री के प्रसाद मय हमराहीगण द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम ककरौली के जंगल से 01 शातिर गौकश अभियुक्त अब्दुल सलाम पुत्र दाऊद निवासी ग्राम व थाना ककरौली, मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 08 किलो गौमांस, 01 कांटा व गौकशी के उपकरण आदि बरामद किये गये। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ककरौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 213/2024 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ थाना खालापार पुलिस द्वारा दौराने पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर गौकश अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-

दिनांक 27.12.2024 को थाना खालापार पर नियुक्त उ0नि0 श्री राहुल कुमार मय हमराहीगण द्वारा दौराने पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर गौकश अभियुक्त औसाफ उर्फ लंगड़ा पुत्र महफूज निवासी शहीद चौक, खालापार, मुजफ्फरनगर को काली नदी वाले रास्ते पर ईख के खेत से घायल/गिरफ्तार किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 रास जिंदा गौवंश, गौकशी के उपकरण, 01 तमंचा मय 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद की गयी। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खालापार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 28.12.2024 को थाना सिविल लाईन पर नियुक्त उ0नि0 श्री नीरज यादव मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0- 376/2024 धारा 85/352/123/80 बीएनएस तथा ¾ दहेज प्रतिशेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त मुकुल सिंघल पुत्र हंस कुमार सिंघल निवासी 174 सिविल लाईन कोर्ट रोड, थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर को रोडवेज बस स्टैण्ड, मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया।